

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 652]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2022—पौष 7, शक 1944

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2022

आर. क्र. 995153-2022-बी-1-दो.— दण्ड प्रक्रिया (शनाख) अधिनियम, 2022 (क्रमांक 11 सन् 2022) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, राज्य अपराध अभिलेख व्यारो, पुलिस मुख्यालय, जहांगीराबाद, भोपाल, मध्यप्रदेश को अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में मापमानों को संग्रहण करने, परीक्षण करने और संरक्षित तथा साझा करने के लिए राज्य नोडल अधिकरण के रूप में अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

R. No. 995153-2022-B-1-Two.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 4 of the Criminal Procedure (Identification) Act, 2022 (No. 11 of 2022), the State Government, hereby, notifies the State Crime Records Bureau, Police Headquarter, Jahangirabad, Bhopal, Madhya Pradesh as the State Nodal Agency in their respective jurisdictions to collect, preserve and share the measurements.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव राजपूत, सचिव।